सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
ज्येष्ठ 12, शुक्रवार, *शाके* 1945-जून 02, 2023 *Jyaistha 12, Friday , Saka 1945- June 02, 2023*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मई 19, 2023

संख्या: 132/भू.अ./ज.स./2016/1311-1315:- चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ **फोर वाटर कन्सेप्ट के अन्तर्गत खेड़ली तालाब के निर्माण/ डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि को** अवाप्त किया जाना आवश्यक है।

यह अधिसूचना जारी कर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, **2013** की धारा-**4(1)** एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, **2016** के प्रावधानों के अनुसरण में **सलग्न सूची अनुसार** प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, **2016** के नियम **6(8)** की पालना **सु**निश्चित करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता, **वितरण खंड (बामुन) माही परियोजना गढ़ी, बांसवाड़ा** को अधिकृत किया जाता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 3 (जी) एंव राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 1(51) Rev-6/2014/31 दिनांक 28.08.2015 के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, कुशलगढ, बांसवाड़ा होगे।

विवरण

फॉर वाटर तालाब खेडली में अवाप्त भूमि की जाने वाली भूमि अर्जन, पुर्नवासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम **2013** की धारा **4 (1)** की कार्यवाही बाबत प्रस्ताव जिला बांसवाड़ा

क्र. सं.	परियोजना का नाम	ग्रांम का नाम	ग्रांम पंचायत	तहसील का नाम	जिला	भूमि अवाप्ति अधिकारी
1	फोर वॉटर तालब खेडली	धोलका नई बस्सी	बस्सी	कुशलगढ़	बासवाड़ा	कुशलगढ़

फॉर्म न - 2

(देखे – नियम – 5)

PART-B

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना मे निम्नलिखित सम्मलित होंगे :-

(क)	परियोजना विकासकर्ता का नाम	अधिशासी अभियंता वितरण खण्ड बा.मु.न माही परियोजना गढी
	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त वर्णन और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार, सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र ।	फोर वाटर सिंचाई परियोजना के अन्र्तगत खेड़ली ग्राम धोलका नई बस्सी ग्राम पंचायत बस्सी तहसील कुशलगढ जिला बांसवाडा योजना अन्र्तगत कुल 7.36 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित है।
(ख)	स्माजिक समाघात निर्धारण के मुख्य उदेश्य और महत्वपूर्ण क्रियाकलाप जिसके अन्र्तगत (1) परामर्श (ii) सर्वेक्षण (iii) सार्वजनिक सुनवाई / सुनवाईयां भी दें ।	(i) परामर्श (ii) सर्वेक्षण (iii) सार्वजलिक सुनवाई
(ग)	यदि ग्राम सभा और / या भू-स्वामी की सहमति अपेक्षित है तो अधिसूचना में इस बारे में कथम किया जाना होगा ।	अधिनियम की धारा 2 (1) के अन्र्तगत लागू नहीं है।
(घ)	समाजिक समाधात निर्धारण के लिए समय सीमा और सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकटीकरण की रीति के साथ अनेअचल परिणाम (सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना विनिर्दिष्ट किए जाने होगें ।	अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया व समय के अनुसार
(ड़)	इस अवधि के दौरान इस आशय का कथन कि प्रपीडन या धमकी के प्रयास से कार्यवाही अकृत और शून्य हो जाएगी ।	हा
(च)	समाजिक समाधात निर्धारण इकाई से संपर्क करने संबंधी जाने संबंधी जानकारी ।	कार्यालय अधिशासी अभियंता वितरण खण्ड बा.मु.न माही परियोजना गढी, बांसवाडा

मुकेश कुमार गुप्ता,
उप सचिव एवं प्रावै. सहा.
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।